ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2779

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण ऋणग्रस्तता का आकलन

2779. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदार किसानों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और प्रवासी कृषि श्रमिकों के बीच ग्रामीण ऋणग्रस्तता का महाराष्ट्र सहित राज्य और जिला-वार कोई आकलन किया है;

(ख) वर्ष 2014 से उक्त श्रेणियों पर बकाया कुल संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋण, साहूकारों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से उधार सहित, का महाराष्ट्र सहित राज्य और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मौजूदा ऋण के लिए एक संरचित, दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण राहत या समाधान तंत्र (जो फसल बीमा, नई ऋण-लिंक्ड योजनाओं या एकमुश्त अनुदान की प्रकृति का न हो) शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो पात्रता, वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऋण विस्तार के अलावा पुरानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए वैकल्पिक उपाय क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ड.): जहाँ तक छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदार किसानों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और प्रवासी कृषि श्रमिकों के बीच ग्रामीण ऋणग्रस्तता के किसी भी आकलन का संबंध है, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ऐसा कोई आकलन नहीं करता है। हालाँकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) आदि शामिल हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी को कम करना और देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाना है, जिसके लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना, न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, विभिन्न उपयोगी काम-काजों और उद्यमिता गुणों में युवाओं को कौशल प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक सहायता का प्रावधान करना शामिल है।

*****